मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय

: : <u>संशोधित एकजाई आदेश</u> : :

भोपाल दिनांक 09/07/2026

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) : : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 10 जून, 2025 के आयटम क्रमांक 2 में लिये गए निर्णय अनुसार "**मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना**" में विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक 05.06.2018, संशोधित आदेश दिनांक 28.05.2019, 01.07.2019, 13.03.2020, 23.09.2022, 18.08.2023, 13.09.2023, 14.06.2025 एवं विभागीय पत्र दिनांक 03.01.2023 को अधिक्रमित करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

2. **पात्रता की शर्तें:-**

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 8 लाख रूपये से कम हो,परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा। परन्तु, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा रूपये 8.00 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी।

2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई(CBSE)/ आईसीएसई(ICSE) द्वारा आयोजित बारहवीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठयक्रमों मे प्रवेश लेते है तथा जिन्होनें वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका मे उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये है, भी इस योजना में पात्र होगें।

2.4 लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं 10वीं/12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 70 प्रतिशत या सीबीएसई(CBSE)/ आईसीएसई(ICSE) की परीक्षा 85 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि आदेश की कण्डिका 3.1 में शामिल संस्थाओं के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों एवं कंडिका 3.5 में शामिल संस्थाओं के फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है, ऐसे विद्यार्थी योजना हेतु पात्र होगें। ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जेईई मेन्स रैंक की बाध्यता नहीं होगी।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रैंक प्राप्त किया है,

परन्तु शैक्षणिक सत्र 2023-24 से, भारत सरकार व राज्य शासन के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त और उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी।

अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:-

a शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 मेडिकल की पढ़ाई:-

3.2.1 एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जायेगी।

3.2.2 उक्त बिन्दु क्रमांक-3.2.1 के अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजनांतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् आगामी 05 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा।

उदाहरणतः 2.5 वर्ष कार्य करने पर 50% ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। 05 वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात् अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। 05 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की

कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा।

3.2.3 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिये NEET परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक डेढ़ लाख (1.5 लाख) के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होगें।

3.2.4 मध्यप्रदेश के मूल-निवासी विद्यार्थियों को NEET परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों (जिनके शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति या मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है) तथा केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

3.2.5 मेडिकल की पढ़ाई के लिये यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी।

3.2.6 योजना के हितग्राही मध्यप्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3.3 **विधि की पढ़ाई:-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स

(जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) एवं पोलीटेनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना में अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

3.6 योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोडकर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार /राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें–

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठयक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा,

परन्तु ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा प्रवेशित वर्ष में योजना का लाभ लेने के बाद पाठ्यक्रम/संस्था बदली जाकर अन्यत्र पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश लिया जाता है, उन्हें योजना में पूर्व से प्राप्त लाभ की राशि को समायोजित/वापिस कर, नवीन/परिवर्तित पाठ्यक्रम/सस्था में योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व तक प्राप्त राशि को वापिस/समायोजित कर नवीन पाठ्यक्रम/संस्था में लाभ ले सकेंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत अन्य नवीन पाठ्यक्रम/संस्था हेतु लाभ देय नहीं होगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेगें, ऐसा कर सकेगें।

5. योजना का क्रियान्वयन-

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र् 2017-18 से लागू की गई है।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार–प्रसार किया जावेगा तथा योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा। इस हेतु योजना पर हुए व्यय का 03% किन्तु प्रथम वर्ष के लिए रूपए 15 करोड़ निर्धारित किया जाता है, जिसमे प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होगा।

5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।

6. योजना के प्रावधान एवं क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होगें।

6.1 योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु योजना का पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किए जाएंगे।

6.2 स्वप्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rakesh Kushre
Date: 07-07-2026
19:41:23

(राकेश कुशरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) 535/42-1 भोपाल दिनांक 07/07/2026

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।

3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (केवल तकनीकी शिक्षा)।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
7. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
11. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
12. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
14. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी मध्यप्रदेश।
15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
उप सचिव
म.प्र.शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग